

प्रहोप

निवेदन है कि ग्राम मोड़की की जमापत्रांक 73 के जमीन नाम  
रामप्रादी पानी भागाराम की जमापत्रांक 2015-18 पर चर्चा द्वारा उत्तर शपथपत्र व अन्य  
परचान पत्रों के जमीन नाम रामप्रादी पानी भागाराम दर्ज है कि जमीन का नाम  
रामप्रादी पानी भागाराम की जमापत्रांक रामप्रादी पानी भागाराम छुड़ किया जाना  
उत्तरावित है

दिनांक 15/6/23

15/6/2023  
15/6/23

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

दिनांक -

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशपा की जाती है / ~~की जाती है~~  
की जाती है।

15/6/23  
तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनू (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :-  
उपखण्ड अधिकारी के जमा आगधान 2

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0)  
उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व  
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मोड़की	2015-18	73	रामप्रादी पानी भागाराम गान्धि गाट	रामप्रादी पानी भागाराम गान्धि गाट

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
पालना की जावे।

263  
16-6-23

16/6/23  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी 123